राष्ट्रीय लोक अदालत

स्थान का नाम छपरा सारण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1978 की धारा 19 के अधीन नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ..... द्वारा आयोजित)

याची/वादी / परिवादी प्रेम चन्द यादव

विरुद्ध

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी यूनाइटेड इण्डिया इन्सुरेन्स कम्पनी लि०

वाद संख्या क्लेम नं० 80/2016

उपस्थित पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम :

गैर न्यायिक सदस्य का नाम : 1. श्री कान्त सिंह (ADJ-13)
2. श्री संतोष कुमार सिंह (Advocate)

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों के विवाद / मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है -

उपरोक्त मुकदमा दोनों पक्षों के आपसी समझौता के आधार पर आवेदक एवं विपक्षी यूनाइटेड इण्डिया इन्सुरेन्स कम्पनी के बीच रु० 300000 तीन लाख रुपया में सुलह हो गया है। विपक्षी यूनाइटेड इण्डिया इन्सुरेन्स कम्पनी रु० 10 दिनों के चेक के माध्यम से कोर्ट में गवाह बेली उपाध्याय के वारी की मौजूदगी में दावा नहीं होगा अदा करेगा।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा अदा किया शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्यायशुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

प्रेमचन्द यादव
याची/वादी/परिवादी

Identity Premchand Yadav who is present in my Mahut Kri Adv 14/3/26

प्रतिवादी / प्रत्यर्थी

Ravi Kant Adv 14/03/26 (UIIC)

न्यायिक सदस्य 14/3/26

सदस्य 14/3/26

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत सारण, छपरा